"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 जनवरी 2013—माघ 1, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-07-2012 द्वारा दिनांक 28-29 जून, 2012 की रात्रि को जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा के ग्राम सारकेगुड़ा और जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के ग्राम सिलगेर एवं चिमली पेंटा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ घटना की न्यायिक जांच के लिए विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग द्वारा तीन माह के भीतर राज्य शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जानी थी.

2. निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2012 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह की समयवृद्धि की गई थी.

3. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12-01-2013 से 11-07-2013 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** अपर सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

दूरभाष/फैक्स 07744-281054

## कार्यालय, उप-संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव

## छत्तीसगढ़ राजपत्र के प्रदाय संबंधी नियम तथा सूचना

छत्तीसगढ़ राजपत्र के भाग 1, 2, 3, 4 और असाधारण राजपत्र, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से प्रकाशित होते हैं. अत: राजपत्र के भाग 1, 2, 3 और 4 में प्रकाशनार्थ विज्ञप्तियां एवं निजी और नाम परिवर्तन की सूचनाएं उप-संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को प्रेषित की जावे.

2. यदि विज्ञप्तियां प्रकाशनार्थ संबंधित मुद्रणालय में प्राप्त नहीं हुई तो उनके प्रकाशन विलम्ब से होने की संभावना है.

3. छत्तीसगढ़ राजपत्र निम्नलिखित भागों में विभाजित है :-

भाग 1.-(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालयों के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.-(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

असाधारण राजपत्र-छत्तीसगढ़ राजपत्र के किसी भाग से संबंधित प्रकाशन सामग्री.

4. राजपत्र निम्नलिखित मूल्यों अभिदान दरों के अग्रिम भुगतान से प्राप्त होगा :-

**(छत्तीसगढ़ राजपत्र के अभिदान की दर-दिनांक 02/02/2013 से प्रभावशील)**

| | | त्रैमासिक<br>(1)<br>रुपये | अर्द्धवार्षिक<br>(2)<br>रुपये | वार्षिक<br>(3)<br>रुपये |
|---|---|---|---|---|
| (1) | सम्पूर्ण राजपत्र .. | 366 | 733 | 1465 |
| (2) | भाग 1 .. | 94 | 189 | 377 |
| (3) | भाग 2 .. | 40 | 80 | 160 |
| (4) | भाग 3 .. | 115 | 230 | 460 |
| (5) | भाग 4 .. | 43 | 87 | 173 |
| (6) | असाधारण राजपत्र (अनिवार्य) .. | 74 | 148 | 295 |

5. (1) राजपत्र का शुल्क तीन मास से कम का स्वीकार नहीं किया जाता है. राजपत्र भाग 1, 2, 3, 4 किसी एक भाग या एक से अधिक भागों के साथ असाधारण राजपत्र का अभिदान भेजा जाना अनिवार्य है.

(2) त्रैमासिक अथवा उसके बहुविध मासों का अभिदान किसी भी मास की प्रथम तिथि से स्वीकृत होता है.

(3) एक बार दिया गया अभिदान पूर्ण राशि में अथवा अंशों में प्रत्यापित नहीं किया जावेगा. उसकी पूर्ति राजपत्र के अंक भेजकर ही की जावेगी.

(4) किसी भी मास की पन्द्रह तारीख तक प्राप्त होने वाले शुल्क के अभिदाताओं को यथासंभव उसी मास की पहली तारीख से तथा उसके उपरान्त प्राप्त शुल्क के अभिदाताओं को राजपत्र का प्रदाय आगामी मास के प्रथम दिनांक से प्रारंभ किया जावेगा.

6. राजपत्र के लिये उप-संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को देय अभिदान सहित आवेदन-पत्र भेजा जाना चाहिए, **चालान का हेड-0058-स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग-102-(सेल आफ गजट) है.**

7. अभिदान का धन अग्रिम नगद चालान, बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर से उप-संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को भेजा जाना अनिवार्य है. व्ही. पी. पी. अथवा बिल द्वारा राजपत्र का प्रदाय नहीं किया जाता है. अभिदान चैक द्वारा स्वीकार न होगा.

8. लोक सेवा हेतु राजपत्र के नि:शुल्क प्रदाय के लिये आवेदन-पत्र, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर को संबोधित करना चाहिए. वहां से आज्ञा प्राप्त होने पर ही राजपत्र का नि:शुल्क प्रदाय प्रारंभ किया जा सकेगा.

9. राजपत्र के अपेक्षित पिछले अंक, डायरी, कैलेण्डर्स, अधिनियम मूल्य देकर उपलब्धता अनुसार प्राप्त हो सकते है. जिसके लिये उप-संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भंडार, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव से सम्पर्क करें, इस कार्यालय का फोन नम्बर 07744-281054 है.

10. राजपत्र में निवेशित होने वाले सूचना-पत्र, विज्ञापन आदि प्रति सप्ताह बुधवार को प्रात: साढ़े ग्यारह बजे तक संबंधित शासकीय मुद्रणालय में पहुंच जाना चाहिए.

11. लोकाधिकारियों से निवेदन है कि वे यह ध्यान में रखें कि शुक्रवार राजपत्र का प्रकाशन दिवस है और राजपत्र में मुद्रित होने वाले सम्पूर्ण इच्छित विषय संबंधित शासकीय मुद्रणालय में प्रकाशन दिवस से दो दिन पूर्व प्राप्त हो जायें.

12. अभिदाताओं को राजपत्र भेजते समय पूर्ण सावधानी रखी जाती है फिर भी यदि अभिदाता को कोई प्रति प्राप्त न हो, तो उसकी सूचना स्थानीय डाकखाने में पूछताछ करने के पश्चात् न प्राप्त होने वाली प्रति के प्रकाशन तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर, इस कार्यालय में प्राप्त होने पर ही दूसरी प्रति नि:शुल्क प्रदाय की जावेगी उसके उपरांत प्राप्त सूचनाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

13. राजपत्र का अभिदान भेजत समय यह लिखा जाना आवश्यक है कि संबंधित नवीन ग्राहक है अथवा गतवर्ष का, साथ ही पूर्ण पता जिस पर राजपत्र प्रदाय किया जाना-नाम, स्थान, डाकघर, जिला आदि स्पष्ट रूप से लिखें. पतें की अशुद्धता के कारण जो राजपत्र अभिदाताओं को प्राप्त न होगा, उसका उत्तरदायित्व इस कार्यालय पर न होगा और न प्रतियां पुन: भेजी जायेंगी.

14. पुराने अभिदाताओं को शुल्क भेजते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखनी चाहिए, ताकि धन का जमा खर्च सही रूप से हो सके ग्राहक संख्या के अभाव में विलम्ब के लिये यह कार्यालय उत्तरदायी न होगा.

**टीप :-** संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, रायपुर, राजपत्र की दरें किसी भी दिनांक से बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं. यदि राजपत्र की दरें किसी दिनांक से बढ़ाई जाती हैं, जो ग्राहक को उस दिनांक से बढ़ी हुई दरों तथा पूर्व में जमा की गई राशि के अन्तर का भुगतान करने के पश्चात् ही राजपत्र की आगे प्रतियां प्रदाय की जायेंगी.

क्रमांक जी. आर. पी. जी. एस. (1) राजनांदगांव, दिनांक................20

आपके पत्र क्रमांक............................दिनांक.................20 के उत्तर हेतु कृपया उपरोक्त नियमों 1 के कण्डिका................के...............................का अवलोकन करें.

**उप-संचालक**
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
राजनांदगांव.

(बुक पोस्ट)

**भारत शासन सेवार्थ**

श्री.........................................................

.............................................................

.............................................................

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—282—2/2013—1,500.